



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2704/2026

अनमोल जाटव

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता	:	पूजा सिंह, राजेश यादव, सिद्धार्थ सिंह
प्रतिवादी अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेश यादव की ओर से बहस करते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुल यादव साथ ही राज्य के लिए ए.जी.ए. श्री वी.के.एस. परमार को सुना और रिकॉर्ड देखा।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 807/2025, धारा 103(1), 126(2), 351(3), 3(5), 324(4) बीएनएस, पुलिस स्टेशन मझोला, जिला मुरादाबाद के तहत, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि इसी तरह के सह-आरोपी अभिषेक सैनी उर्फ शुभम को इस न्यायालय ने 15.11.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 40143/2025 में दिए गए आदेश के तहत पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आवेदक की भूमिका सह-आरोपी जैसी ही है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसलिए वह भी बराबरी के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। आवेदक 30.8.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. बेल की अर्जी का विद्वान ए.जी.ए. ने जोरदार विरोध किया है। हालांकि, सह-आरोपी के बराबर होने और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास न होने की ऊपर बताई गई असल बातों पर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया है।

6. मामले के तथ्यों और हालात को देखते हुए और इस न्यायालय के नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 सीआरएल.एल.जे. 938 में दिए गए फैसले और सर्वोच्च न्यायालय के पारस राम विश्वाई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीओआर/22410/2021 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 825, में दिए गए फैसलों को देखते हुए, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। समानता के आधार पर जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।

7. आवेदक- अनमोल जाटव, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है।

(i) आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने उन तारीखों पर खुद मौजूद रहना होगा जो (1) मामला शुरू करने, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय की गई हैं। अगर विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की गैरहाजिरी जानबूझकर या बिना किसी सही वजह के है, तो विचारण न्यायालय को इस तरह की गलती को जमानत की आजादी का गलत इस्तेमाल मानने और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

8. ऊपर दी गई किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोग पक्ष को इस न्यायालय में जमानत रद्द करने का आवेदन देने की आजादी होगी।

9. बॉन्ड स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और रहने का सबूत संबंधित न्यायालय से सत्यापित किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

28 जनवरी, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।